रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 1996/अग्रहायण 15, 1918
No. 414] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 1996/AGRAHAYANA 15, 1918

गृह मंत्रालय

(अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1996

विषय:—अन्तर्राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन।

सा. का. नि. 558 (अ.).—केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में गठित सरकारिया आयोग ने, अन्य बातों के साथ साथ, यह सिफारिश की थी कि अन्तर्राज्य परिषद की एक जनरल बाडी होनी चाहिए जिसकी सहायता के लिए एक छोटी स्थायी समिति होनी चाहिए। अन्तर्राज्य परिषद ने अपनी दिनांक 15-10-1996 को हुई द्वितीय बैठक में यह भी सिफारिश की कि परिषद की एक स्थायी समिति होनी चाहिए जिससे सतत परामर्श किया जा सके और परिषद के विचारार्थ आने वाले मामलों पर कार्रवाई की जा सके।

2. तदनुसार, अन्तर्राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य बनाए गए हैं:

1. श्री इन्द्रजीत गुप्त, गृह मंत्री, अध्यक्ष।
2. श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मन्त्री।
3. श्री मुरासोली मारन, उद्योग मन्त्री।
4. श्री मुलायम सिंह यादव, रक्षा मन्त्री।
5. श्री एस. आर. बोम्मई, मानव संसाधन विकास मन्त्री।
6. श्री जे. बी. पटनायक, मुख्य मन्त्री, उड़ीसा।
7. श्री भैरों सिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री, राजस्थान।
8. श्री ज्योति बसु, मुख्य मन्त्री, पश्चिम बंगाल।
9. श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू, मुख्य मन्त्री, आन्ध्र प्रदेश।
10. श्री मनोहर जोशी, मुख्य मन्त्री, महाराष्ट्र।
11. श्री पी. के. महन्त, मुख्य मन्त्री, असम।

3. स्थायी समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:—

(i) सतत परामर्श करती रहेगी और परिषद के विचारार्थ आने वाले विषयों पर कार्यवाही करेगी।

(ii) सरकारिया आयोग की सिफारिशों, विशेषकर केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियों का अंतरण करने के अत्यावश्यक प्रश्न, की संविक्षा करेगी और इन्हें अद्यतन बनाएगी।

(iii) संविधान के अनुच्छेद 356 में अपेक्षित संशोधनों की जांच करेगी।

(iv) 179 सिफारिशों, जिन पर उप-समिति में मतैक्य था, और 12 मदों, जिन पर मतैक्य नहीं था, के संबंध में राज्य सरकारों के वर्तमान दृष्टिकोणों पर विचार करेगी।

(v) केन्द्र राज्य संबंधों विषयक सभी मामलों पर, उनको अन्तर्राज्य परिषद के विचारार्थ रखे जाने से पहले, कार्यवाही करेगी।

(vi) समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

(vii) दूसरे किसी भी ऐसे मामले पर विचार करेगी जो अध्यक्ष/परिषद द्वारा इसको सम्प्रेषित किए जाएंगे।

4. ऊपर वर्णित मद सं. (ii) और (iii) के बारे में स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

5. स्थायी समिति, यदि आवश्यक हो, विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञों और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को आमन्त्रित कर सकती है ताकि विचार-विमर्श के दौरान संबंधित विषयों पर उनके विचारों का लाभ उठाया जा सके।

[सं. 7/4/96-आई. एस. सी.]

डा. आर. के. नायक, सचिव अन्तर्राज्य परिषद

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Inter-State Council Secretariat)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1996

Sub : *Constitution of Standing Committee of the Inter-State Council.*

G.S.R. 558 (E).— Sarkaria Commission on Centre-State relations had, among other things, recommended that the Inter-State Council should consist of a General Body assisted by a Smaller Standing Committee. The Inter-State Council, at its second meeting, held on 15-10-96, also recommended that there should be a Standing Committee of the Council for continuous consultation and processing of matters for the consideration of the Council.

2. The Standing Committee of the Inter-State Council is accordingly constituted comprising the following members:

1. Shri Inderjit Gupta, Minister of Home Affairs—Chairman.
2. Shri P. Chidambaram, Minister of Finance.
3. Shri Murasoli Maran, Minister of Industry.
4. Shri Mulayam Singh Yadav, Minister of Defence.
5. Shri S.R. Bommai, Minister of Human Resource Development.
6. Shri J.B. Patnaik, Chief Minister, Orissa.
7. Shri Bhairon Singh Shekhawat, Chief Minister, Rajasthan.
8. Shri Jyoti Basu, Chief Minister, West Bengal.
9. Shri N. Chandrababu Naidu, Chief Minister, Andhra Pradesh.
10. Shri Manohar Joshi, Chief Minister, Maharashtra.
11. Shri P.K. Mahanta, Chief Minister, Assam.

3. The Standing Committee will :—

(i) have continuous consultation and process matters for consideration of the Council;

(ii) review and update the recommendations of Sarkaria Commission especially the vital question of devolution of financial powers from the Central Government to State Governments;

(iii) examine the changes required in Article 356 of the Constitution;

(iv) consider the current views of the State Governments on 179 recommendations on which there was a consensus in the Sub-Committee and also the 12 items on which there was no consensus;

(v) process all matters pertaining to Centre-State relations before they are taken up for consideration in the Inter-State Council;

(vi) monitor the implementation of decisions taken on the recommendations of the Council; and

(vii) consider any other matter referred to it by the Chairman/Council.

4. The Standing Committee will submit its report on items (ii) and (iii) mentioned above within three months.

5. The Standing Committee may, if necessary, invite experts and persons eminent in specific fields to have the benefit of their views while deliberating upon the related subjects.

[No. 7/4/96-ISC]

Dr. R.K. NAYAK, Secy. Inter-State Council

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1996